मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–20/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 6 DEC 2017

प्रति,

1– प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल ।

2– मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र इंदौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां. परिक्षेत्र भोपाल

विषयः– सिंगलफेस पॉवरपंप आधारित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

–00–

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मुख्यतः भू–गर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित है, भू–जल के स्तर में लगातार गिरावट होने के फलस्वरूप ग्रीष्मकाल में प्रदेश में कई क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप अस्थाई रूप से अक्रियाशील हो जाते हैं, ऐसे कई हैण्डपंपों के नलकूप स्त्रोत में ग्रीष्मकाल में पर्याप्त जल क्षमता विद्यमान रहती है परन्तु नलकूपों पर स्थापित हैण्डपंप जलस्तर गिरने के कारण संचालन योग्य नहीं रहते हैं।

उपरोक्त स्थिति में ग्रामीण बसाहटों में वर्षभर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर ऐसे हैण्डपंपों के नलकूपों पर सिंगलफेस पॉवरपंप स्थापित कर पेयजल व्यवस्था की जा सकती है। सिंगलफेस पॉवरपंप आधारित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

6/12/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–20/2017/2/34 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि :–

1– समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश।
2– समस्त कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

6/12/2017
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सिंगलफेस पावरपम्प आधारित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के कियान्वयन हेतु

–:: दिशा–निर्देश ::–

1. **प्रस्तावना** :–

मध्यप्रदेश की वर्तमान ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मुख्यतः भू–गर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल के स्तर में लगातार गिरावट होने के फलस्वरूप ग्रीष्मकाल में प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्प अस्थायी रूप से अकियाशील हो जाते हैं। ऐसे हैण्डपम्पों के नलकूपों जिनमें ग्रीष्मकाल में हैण्डपम्पों के संचालन हेतु उपयुक्त जल आवक क्षमता विद्यमान रहती है, किन्तु नलकूपों का जल स्तर सामान्यतः इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प के संचालन हेतु उपयुक्त नही पाया गया, उन हैण्डपम्पों के नलकूपों में विगत ग्रीष्मकाल वर्ष 2016 एवं 2017 में सिंगलफेस पावर पम्प स्थापित कर की गई पेयजल व्यवस्था ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने में काफी मददगार रही है।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भू–गर्भीय जल स्त्रोतों से शुद्व, पर्याप्त एवं वर्षभर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से, जिन हैण्डपम्पों के नलकूपों का जल स्तर ग्रीष्मकाल में नीचे चला जाता है, किन्तु उनमें सिंगल फेस पावरपंप स्थापना हेतु पर्याप्त जल आवक क्षमता उपलब्ध रहती है, उन हैण्डपम्पों के नलकूपों पर सिंगलफेस पावरपम्प योजना का कियान्वयन किया जाना है।

2. **ग्राम/बसाहट के चयन की प्रकिया** :–

योजना हेतु ग्राम/बसाहट का चयन निम्न क्रम में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा है :–

➢ ग्राम/बसाहट जिनके सम्पूर्ण क्षेत्र/आंशिक क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में पेयजल की आपूर्ति की दर 20 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम हो जावे।

➢ विद्यमान नलकूप स्त्रोतों में जल स्तर 50 मीटर की गहराई से अधिक नीचे चला जाता हो,

➢ ग्राम/बसाहट में स्थापित हैण्डपम्पों के नलकूपों में ग्रीष्मकाल में सामान्यतः 1800–2000 लीटर प्रतिघण्टे की जल आवक क्षमता विद्यमान हो,

➢ ग्राम/बसाहट विद्युतीकृत हो।

➢ शालाये/आंगनबाडी केन्द्र जिनमें पेयजल व्यवस्था हेतु स्थापित हैण्डपम्प के नलकूप में लगभग 1800–2000 लीटर प्रतिघण्टा जल आवक क्षमता वर्षभर रहती हो, किन्तु

क्रमशः–2

256

नलकूप का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्प वर्ष की आंशिक अवधि में अकियाशील रहता हो।

उपरोक्त मापदण्डानुसार ग्रामों/बसाहटों के चयन की प्रकिया में संबंधित ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव लिया जाना आवश्यक होगा, कि "हैण्डपम्प के नलकूप में सिंगलफेस पावरपम्प स्थापित किये जाने पर उसका संचालन/संधारण, संबंधित ग्राम पंचा**यत/ग्राम पेयजल उपसमिति/शाला प्रबंधन अपने वित्तीय संसाधनों से करेंगे।**"

3. <u>योजना का रूपांकन</u> :–

- ग्राम/बसाहट में स्थापित किए जाने वाले सिंगल पावरपंपों की संख्या का निर्धारण इस तरह किया जावे कि ग्रीष्मऋतु में ग्राम की प्रत्येक बसाहट में उपलब्ध समस्त पेयजल स्त्रोतों के माध्यम से न्यूनतम 40 एल.पी.सी.डी. की मात्रा से जल प्रदाय होता रहे।

- **योजना के अवयव** :–

➢ **सिंगलफेस सबमर्सिबल पम्प सेट** :– योजना में उपयोग में लिये जाने वाले सिंगलफेस सबमर्सिबल पम्प सेट का डिस्चार्ज नलकूप की जल आवक क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, तथा पम्प के हेड का निर्धारण नलकूप की जल आवक क्षमता के परीक्षण में पाये गये नलकूप के अधिकतम जल स्तर (maximum drawdown) के मान से किया जावे। नलकूप में सबमर्सिबल पम्प सेट की स्थापना 40 मि.मी व्यास के एच.डी.पी.ई पाइप से की जावे।

➢ **कन्ट्रोल पैनल** :– कन्ट्रोल पैनल, विद्युत मीटर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की स्थापना स्त्रोत के नजदीक उपलब्ध सुरक्षित परिसर में की जावे।

➢ **विद्युत संयोजन का कार्य** :– सिंगलफेस मोटरपंप संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विद्युत कनेक्शन संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत/अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति/पेयजल उपसमिति के पदनाम से लिया जावे।

➢ **जल संग्रहण हेतु एच.डी.पी.ई टंकी** :– आवश्यकतानुसार ग्रामवासियों को जल का वितरण सिंगल फेस मोटर पंप के पास यथासंभव 2000 लीटर क्षमता की एच.डी.पी.ई टंकी स्थापित कर टंकी में 04 नलटोंटियां लगाकर किया जावे। टंकी के चारों ओर 1.00 मीटर चौडाई में सीमेन्ट कांक्रीट का प्लेटफार्म नाली सहित बनाया जावे। जल संग्रहण टंकी की स्थापना हेतु स्थल का निर्धारण यथा संभव ऐसे स्थान पर किया जाये, जहॉ से पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो।

➢ **पाइप लाइन** :– नलकूप से जल संग्रहण टंकी तक बिछाई जाने वाली पाइप लाइन हेतु 32 मि.मी व्यास के जी.आई पाइप का उपयोग किया जाये।

कृपया –3

257

- शालाओं एवं आंगनबाडी केन्द्रों में स्थापित किये जाने वाले सिंगलफेस पावरपम्प के साथ शाला/आंगनबाडी की छत पर 500 लीटर जल भण्डारण क्षमता की एच.डी.पी.ई टंकी स्थापित की जावे। इस टंकी से आवश्यकतानुसार शाला/ आंगनबाडी के शौचालय/ मूत्रालय/किचनशेड में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जावे।

- स्त्रोत नलकूप पर पूर्व से स्थापित हैडंपंप सेट एवं राईजर पाईप को सिंगल फेस पावरपंप स्थापना के समय वापस प्राप्त कर विभागीय भण्डारगृह में जमा कराना आवश्यक होगा।

4. योजना हेतु राशि की उपलब्धता :–

प्रायः यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा सिंगलफेस पावरपंप आधारित पेयजल व्यवस्था का संचालन केवल ग्रीष्मकाल में ही किया जाता है तथा ग्रीष्मकाल के पश्चात वर्षा होने पर नलकूपों के जलस्तर में वृद्धि होने पर ऐसे स्त्रोतों पर पुनः हैण्डपंप स्थापित कर पेयजल व्यवस्था बहाल की जाती है, अतः सिंगलफेस पावरपंप आधारित योजना को नियमित व्यवस्था न माना जाए तथा इस प्रकार की योजना के प्रस्ताव "पेयजल व्यवस्था का संधारण कार्य" के रूप में तैयार किए जाऐगे तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि राज्य के बजट से **"मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"** के अंतर्गत संधारण मद से उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग जिले/खण्ड की आवश्यकता के अनुसार आवंटन जारी करेगा।

5. <u>योजना का संचालन/संधारण</u> :–

योजना के संचालन/संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल उपसमिति/शाला प्रबंधन समिति का रहेगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार योजना के संचालन/संधारण हेतु ग्राम के संबंधित वार्ड/मोहल्ला की पृथक से ग्राम पंचायत के अनुमोदन से पेयजल समिति का गठन किया जा सकता है। योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय की प्रतिपूर्ति योजना से लाभांवित होने वाले परिवारों से मासिक जलकर की वसूली करके की जा सकती ।

06/12/2017

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यां.विभाग, भोपाल